



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/SER-981/JH/55/2023-RO-RNC -RU-IV

दिनांक :19.03.2025

सेवा मे

श्रीमती प्रेमलता माईकल तिकी
परिचारिका श्रेणी ग्रेडए -, रिम्स हॉस्पिटल,
बरियातू, राँची -834009,
premlatatirkeymicheal@gmail.com
Mobile No:7258073388

विषय : "परिचारिका महाविद्यालय, रिम्स, राँची के उप प्राचार्य सह प्रभारी प्राचार्य द्वारा जातिसूचक एवं हीन-अपमानित करने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने भावना पैदा करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर के संबंध मे

महोदया,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **28-03-2025 समय 02:00 P.M** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(आर.के. दुबे / R.K. Dubey)

उप निदेशक/ Deputy Director

Email ID : rk.dubey@ncst.nic.in

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

✓ NIC for uploading